कार्यालय कलेक्टर, जिला–खंडवा

क्रमांक / वाचक अपर कले0 / 2013 / 1754/11/ खंडवा दिनांक 30-11-13

प्रति,

माननीय अध्यक्ष
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

विषयः– राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 9 अ / 27 वर्ष 2010–11 में पूर्व पारित आदेश दिनांक 10.08.11 के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने संबंधी। [शासन / शमशाद]

----0----

अपर कलेक्टर न्यायालय खण्डवा के समक्ष प्रचलित राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 9 अ / 27 वर्ष 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 10.08.11 के विरूद्ध पीड़ित पक्षकार द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1 अ / 27 वर्ष 2011–12 का निराकरण आदेश दिनांक 30.06.12 के द्वारा कर दिया गया है।

राजस्व मण्डल ग्वालियर के रोस्टर निरीक्षण वर्ष 2012–13 के जनवरी 2013 में श्रीमान के निरीक्षण के दौरान पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 9 अ / 27 वर्ष 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 10.08.11 के विरूद्ध संहिता की धारा 51 के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के निराकरण करने से आपत्ति लेने के फलस्वरूप रिव्यू की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर न्यायालय में संस्थित राजस्व प्रकरण 9 अ / 27 वर्ष 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 10.08.11 को पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में उल्लेखित प्रावधान अनुरूप प्रदान करने का कष्ट करें। दोनो मूल राजस्व प्रकरण (पुनरीक्षण / पुनर्विलोकन) पत्र के साथ संलग्न प्रेषित किये जा रहे है। कृपया अनुमति उपरांत मूल प्रकरण वापिस अपर कलेक्टर न्यायालय खण्डवा को लौटाने का कष्ट करें।

संलग्न :– राजस्व प्रकरण 9 अ / 27 वर्ष 2010–11
राजस्व प्रकरण 1 अ / 27 वर्ष 2011–12

अपर कलेक्टर,
जिला–खंडवा (म.प्र.)

D:\Joshi\abhilekh.doc

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 4471–दो / 13 [शासन / शामशाद] जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदक शासन की ओर से श्री प्रखर ढेंगुला, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक पक्ष को भेजे गये सूचना पत्र की तामीली हो चुकी है, किन्तु उनकी की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । कलेक्टर के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । अतः कलेक्टर के प्रस्ताव में बताये गये कारणों को देखते हुए प्रकरण के पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	